

रज़िर्व बैंक ने ECB नियमों को शथिल कथल

चर्चा में क्यों?

बाह्य वाणज्यिक उधार (External Commercial Borrowing-ECB) के तंत्र को अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों तथा ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के लिये ECB से संबंधित नियमों को और अधिक शथिल कर दलल है ।

परमुख बढु :

- इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट सेक्टर, मुख्यतः गैर बैंकग वतित कंपनयों को सस्ते और लंबी अवधि के ऋण दललवाना है ।
- RBI ने वाजबि उधारकर्त्ताओं को भारतीय बैंकों की वदशी शाखाओं और वदशी सहायक कंपनयों को छोड़कर अन्य मान्यता प्राप्त उधारदाताओं से 10 वर्ष की परपिक्वता अवधि के साथ ECB जुटाने की अनुमतल दी है ।
- 10 वर्षों की न्यूनतम औसत परपिक्वता अवधि वाले ECB का पर्योग कार्यशील पूंजीगत उद्देश्यों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिये कथल जा सकता है ।
- गैर-बैंकग वतिलीय कंपनयों को 10 वर्ष की परपिक्वता अवधि के लिये आगे ऋण देने (On-Lending) के उद्देश्य से भी उधार लेने की अनुमतल मिलल गई है ।
- पूंजीगत व्यय के अलावा अन्य पर्योजनों के लिये लथल गया ECB न्यूनतम 10 वर्षों की औसत परपिक्वता अवधि के लिये लथल जा सकता है ।
- इसके अतरिकित पूंजीगत व्यय के लिये लथल गया ECB न्यूनतम 7 वर्षों की औसत परपिक्वता अवधि के लिये लथल जा सकता है ।
- गैर-बैंकग वतिलीय कंपनयों को आगे ऋण देने हेतु लथल गए उधार का भुगतान रुप में करने की अनुमतल भी दी गई है ।

बाह्य वाणज्यिक उधार

- यह कसल अनवलसी ऋणदाता से भारतीय इकाई दवलर लथल गया ऋण होता है ।
- इनमें से अधिकतर ऋण वदशी वाणज्यिक बैंक खरीदारों के क्रेडिट, आपूरतकलरत्ताओं के क्रेडिट, फ्लोटग रेट नोट्स और फक्स्ड रेट बॉण्ड इत्यादल जैसे सुरकषतल माध्यमों (Instruments) दवलर प्रदान कथल जाते हैं ।

ECB के लाभ

- यह बड़ी मात्रा में धन उधार लेने का अवसर प्रदान करता है ।
- इससे प्राप्त धन अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिये होता है ।
- घरेलू धन की तुलना में ब्याज दर भी कम होती है ।
- यह वदशी मुद्राओं के रूप में होता है । इसलथल यह मशीनरी के आयात को पूरा करने के लिये कॉर्पोरेट्स को वदशी मुद्रा रखने में सकषम बनाता है ।

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स